(153)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प0 5(3)नविवि/3/99 जयपुर, दिनांक 28.8.09

:: परिपत्र ::

जयपुर शहर एवं राज्य के अन्य नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि पर दिनांक 17.06.99 के पूर्व बसी आवासीय कॉलोनियों को नियमित किये जाने की दृष्टि से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में दिनांक 17.06.99 को संशोधन किया जाकर धारा 90-बी (1) जोडने के उपरांत नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 11.01.02, 06.07.02, 20.09.02 एवं दिनांक 06.09.07 एवं इसके पश्चात् समय समय पर जारी परिपत्रों के आंशिक अधिकमण में वर्तमान प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करते हुए नगरीय/स्थानीय निकायों अर्थात् समस्त विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यासों एवं नगर पालिकाओं के स्तर पर दिनांक 17.06.99 के पूर्व में बसी हुई आवासीय योजनाओं/कॉलोनियों का भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-बी की उपधारा (1) के अंतर्गत नियमन की कार्यवाही करने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं कि

1. वर्तमान में नगर निगम, न्यास व नगर परिषद् क्षेत्रों के लिए आंतरिक सडकों की न्यूनतम चौडाई 30 फीट, द्वितीय श्रेणी नगर पालिका क्षेत्रों के लिए 25 फीट व अन्य नगर पालिकाओं के लिए 20 फीट निर्धारित है। इस कारण कई योजनाओं/कॉलोनियों का नियमन संभव नहीं हुआ है। अतः उक्त निर्धारित चौडाई की सडकें मौके पर उपलब्ध नहीं होने के कारण पूर्व में बसी हुई आवासीय योजनाएं/कॉलोनियों के मामलों में जो भी सडक की चौडाई मौके पर उपलब्ध हो, उसे मान्यता प्रदान करते हुए कॉलोनियों का नियमन नगरीय/स्थानीय निकायों के स्तर पर किया जावेगा। ऐसी आवासीय योजनाएं/कॉलोनियां जहां आवास गृह शून्य सैट बैक पर निर्मित नहीं हो, आवास ग्रहों को नियमित करते समय बिल्डिंग लाइन का भी यथासंभव ध्यान रखा जावेगा।

2. जिन आवासीय योजनाओं/कॉलोनियों में आवासीय क्षेत्रफल 70 प्रतिशत व 30 प्रतिशत क्षेत्रफल सडक, पार्क आदि सुविधा क्षेत्र हेतु

उपलब्ध है, उन योजनाओं/कॉलोनियों का नियमन नगरीय/स्थानीय निकायों के स्तर पर किया जावेगा किन्तु इससे अधिक आवासीय क्षेत्रफल की योजनाओं/कॉलोनियों का नियमन राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त नगरय/स्थानीय निकाय के स्तर पर किया जायेगा।

गुरदयाल सिंह संधु
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक(रा.रा.क्षे.), राज.जयपुर।
10. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
11. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग (समस्त स्थानीय निकायों को अपने स्तर पर भिजवायें)
12. समस्त ग्रुप अधिकारी, नगरीय विकास विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

(एस0ए0 फारूकी)
शासन उप सचिव–द्वितीय